[2008] 2 एस. सी. आर 971

गौदारा नंजप्पा

बनाम

मटाडा बसैया और अन्य

(सिविल अपील सं. 8060/2001)

15 फरवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.)

कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961:

अधिभोग अधिकारों का अनुदान-अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टियाँ -

अधिभोग अधिकार प्रदान करना- अधिकारों के रिकार्ड में प्रविष्टिया - उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया और मौके पर निरीक्षण पर जोर दिया गया-उच्च न्यायलय ने अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षो को भी नजरअदांज कर दिया-निर्धारितः उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअदांज कर दिया कि बाद में किया गया स्थान निरिक्षण निर्णय के लिए प्रासंगिक नही था। बुनियादी मुददे -कई वर्षो में फैली राजस्व प्रविष्टिया नियत तिथी तक जारी रही-उच्च नयायालय का अादेश रद्द किया गया और अपीलिय न्यायाधिकरण का आदेश बहाल किया गया।

कुछ इनाम भूमिया देवताआेंं को प्रदान की गई। अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 और अन्य व्यक्ति ने उक्त भूमि पर अधिभोग अधिकार देने के लिए आवेदन दायर किया। भूमि न्यायाधिकरण ने वाद भूमि के कुछ हिस्से पर प्रत्यर्थी संख्या 1 और एक अन्य के पक्ष में अधिभोग अधिकार प्रदान किया। हालांकि अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को रद्वद कर दिया, जहा तक यह 2 एकड 26 गुंटा से संबंधित था, जिसमें से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रदान किया गया था।उच्च न्यायालय ने आर.टी.सी. अर्क में की गई प्रविष्टियो के अनुमानित मूल्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए निश्चत स्थल निरीक्षण पर भरोसा किया और प्रत्यर्थी नंबर 1 के दावे की अनुमति दी।

तत्काल अपील में अपीलकर्ता की आेर से यह तर्क दिया गया कि आर.टी.सी. रिकाॅर्ड में उसे किरायेदार के रूप में दिखाया गया है और उच्च न्यायालय ने आर.टी.सी. रिकाॅर्ड की अनदेखी करके और मौके के निरीक्षण पर भरोसा करके गलती की है।

न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुये निर्धारित किया-

1.1 अधिकारों के रिकाॅर्ड से निकाली जाने वाली धारणा को पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कोई साम्रगी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण पर जोर दिया गया है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की तथा सन 1986 में किए गए स्थल निरिक्षण के

मूल मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कोई प्रासंगिकता नही थी। पूर्ण राजस्व पिछली अवधि से संबंधित था और कई वर्षों से फैला हुआ था और नियत तिथी तक जारी रहा। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गये निष्कर्ष को अनदेखा कर दिया गया।

[पैरा 5] [975-डी, ई, एफ)

1.2 उच्च न्यायालय भी इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि प्रत्यर्थी 2 के पास स्वयं भूमि पर कोई अधिकार या स्वामित्व या हित नही है और अधिभोग अधिकार देने के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 के भूमि के वैध कब्जे में किरायेदार होने का कोई सबूत नहीं था। पिहानी उद्धरण ने 01.03.1974 को अपीलकर्ता की किरायेदारी और कब्जे को साबित किया जो विचार के लिए प्रासंगिक तिथि है। उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से स्थिर नही है और इसे खारिज किया जाता है तथा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जाता है। [पैरा 6 और 7] [976 - बी, सी, डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 8060/2001

1988 के एल.आर.आर.पी. सं. 5998 में बेंगलोर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.03.2000 से है।

अपीलकर्ता के लिए आर. एस. हेगड़े, चंद्र प्रकाश और पी. पी. सिंह

प्रत्यर्थीयो के लिए एम. गिरीश कुमार, एस. के. कुलकर्णी, के. नोबिन सिंह, विक्रांत यादव, अमित के. चावला और संजय आर. हेगड़े

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गयाः

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. इस अपील में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दी गई है जिसमे कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 121 (ए) के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर पुनरीक्षण की अनुमति दी गई है। पुनरीक्षण याचिका में भूमि सुधार अपीलीय न्यायाधिकरण, शिमोगा (संक्षिप्त में 'अपीलीय न्यायाधिकरण') द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण ने भूमि न्यायाधिकरण , शिमोगा तालुक द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था ।(संक्षेप में ट्रिब्यूनल')

संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

एस.वाई. में भूमि नं. वेंकटपुरा गाँव में स्थित क्रंमाक 3, 6/2 ,20 और 41/2 श्री कुडली रामेश्वर देवरू को दी गई इनाम भूमि है। उक्त भूमि के संबंध में, आवेदक-श्री सुब्बाराय, गौदारा नंजप्पा, मटाडा बसैया और श्रीमती वृंदम्मा ने अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया। सुब्बाराय ने उपरोक्त सर्वेक्षण में 27 एकड़ 29 गुंटा की पूर्ण विस्तार का इनामदार होने का दावा करते हुए फॉर्म संख्या 1 दाखिल

किया। गौदारा नंजप्पा ने मंदिर के निचे किरायेदार के रूप में एस.वाई. नंबर. 41/2 में 2 एकड़ 6 गुंटा का दावा करते हुये फार्म नंबर 1 भी भरा।

वर्तमान याचिकाकर्ता मटाडा बसैया ने भी 2 एकड़ 6 गुंटा की भूमि के संबंध में सुब्बाराय के तहत किरायेदार के रूप में अधिभोग अधिकार देने के लिए आवेदन दायर किया गया। वृंदम्मा के एक अन्य व्यक्ति मंजपा के पति ने भी 1 एकड 20 गुंटा एस.वाई. नंबर. 41/2 में अधिभोग अधिकार देने के लिए एक अावेदन भरा। भूमि न्यायधिकरण ने अपने आदेश दिंनाक 11.09.1981 द्वारा गोदरा नंजप्पा के पक्ष में 2 एकड़ 6 गुंटा की सीमा तक और अन्य आवेदको के संबंध में, जो इस याचिका में पक्षकार नही है, कब्जा अधिकार प्रदान किया। उक्त आदेश पर वर्तमान याचिका कर्ता द्वारा डब्ल्यू.पी. में प्रश्न उठाया गया था। इस न्यायालय के समक्ष नबंर 17043/83 है। इस अदालत ने, अब तक यह एस.वाई. नंबर 41/2 से संबंधित है। भूमि न्यायाधिकर के आदेश को रद्ध, कर दिया और मामले को कानून के अनुसार नये निपटान के लिए वापस भेज दिया गया। भूमि न्यायाधिकरण ने पक्षों को साक्ष्य पेश करने की अनुमति देकर मामले पर विचार किया, मंजूनाथ, सुब्बाराय, गोदारा नंजप्पा, वृंदाम्मा के साक्ष्य और याचिकाकर्ता मटाडा के साक्ष्य दर्ज किए रिपोर्ट और तालुक कार्यालय में उल्लेखित मुज़राई संस्थाओं की संपत्ति और आय में की गई प्रविष्टियों और किराए से बाहर निकलने वाले रजिस्टर में पाई गई प्रविष्टियों पर विचार करने के बाद, भूमि न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 17.4.1986 के आदेश द्वारा इसके पक्ष में कब्जा

अधिकार प्रदान किए। मटाडा बसैया 2 एकड़ 26 गुंटा की सीमा तक और 1 एकड़ 20 गुंटा की सीमा श्रीमती वृंदम्मा के पक्ष में आदेश दिया था।

भूमि न्यायाधिकरण का आदेश पर गौदारा नंजप्पा ने पूछताछ की, जो उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू. पी. नंबर 9587/86 प्रत्यर्थी नंबर 1 है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.9.1986 के एक आदेश द्वारा संसोधन के मद्देनजर अभिलेखो को अपीलीय प्रधाि◌कारी शिमोगा को प्रेषित कर दिया किया और इसे भूमि सुधार अपीलिय प्राधिकार के समक्ष एल. आर. ए. (डब्ल्यू) सं. 749/86 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

अपीलीय प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 27.10.1988 द्वारा भूमि न्यायाधिकरण दिनांक 17.04.1986 के आदेश को रद्द करते हुये गौदारा नंजप्पा की अपील को स्वीकार कर लिया गया था। जहां तक यह 2 एकड़ 26 गुंटा की सीमा से संबंधित है, जो मतादा बसैया के पक्ष में के पक्ष में प्रदान किया गया था। अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता जो एक प्रतिद्वंद्वी किरायेदार है, इस संशोधन के साथ आया है।

2. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 का पक्ष् यह था कि इनामदार सुब्बाराय, प्रत्यर्थी संख्या 1 सर्वेक्षण सं. 41/2 ए में 2 एकड़ 26 गुंटा की भूमि के संबंध में एक किरायेदार था

यह माना गयाा है गया कि ट्रिब्यूनल प्रमुख ने उनके पक्ष में सही ढंग से अधिभोग अधिकार प्रदान किया। उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलार्थी का रुख यह था कि अधिभोग आर. टी. सी. में संपूर्ण आधार पर प्रदान किया गया है कब्जा और खेती के संबंध में अर्क और अनुमान उत्पन्न होती है। इसलिए, न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित था। उच्च न्यायालय ने विचार के लिए दो मुद्दे तैयार किए:

1. क्या आई. एल. आर.1992 कर 1827 दिनांक 24.4.1992 में रिपोर्ट किये गये श्री कुडली श्रृंगेरी महा संस्थानम बनाम कर्नाटक राज्य मामले में फैसला सुनाने से पहले इनामी भूमि से जुडे मामले के फैसले में भूमि न्यायाधिकरण द्वारा प्रयोग किया गया क्षेत्राधिकार खराब है और उनके मामलो को न्यायनिर्णयन के लिए विशेष उपायुक्त को भेजने की आवश्यकता है?

2. क्या अपिलीय प्राधिकारी द्वारा याचिका कर्ता मटाडा बसैया के पक्ष में अधिभोग अधिकार के अनुदान को रद्व, करने वाले भूमि न्यायाधिकरण के निष्कर्ष मे हस्तक्षेप करना उचित है?

3. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने आर. टी. सी. में कि गई प्रविष्टियों का अनुमानित मूल्य को स्वीकार नहीं किया। उद्धरण लेकिन ट्रयूब्नल द्वारा किये गये कुछ स्पोट निरिक्षण पर निर्भर था।

4. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। यह इंगित किया गया है कि आर. टी. सी. अपीलार्थी किरायेदार के रूप में दिखाई देता है।

5. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।प्रारंभ में प्रत्यर्थी संख्या 1 का दावा पट्टेदार होने का था और एक आवेदन दायर किया गया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद उसने दावा किया कि वह एक किरायेदार है। उच्च न्यायालय ने केवल सुब्बाराय के साक्ष्य पर भरोसा किया। यह ध्यान देने में विफल रहा कि शुरू में उत्तरदाताओं या सुब्बाराय का नाम आर. टी. सी. में दिखाई दिया था।

अधिकारों के अभिलेख से ली जाने वाली धारणा को पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने ट्रयूब्नल द्वारा किए गये स्थल निरिक्षण पर जोर दिया है।

दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि घटना स्थल का निरीक्षण 1986 में किया गया था और इस तरह के स्थल निरीक्षण के बूनियादी मुद्दो पर निर्णय लेने के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं थी। पिछली अवधि से संबंधित राजस्व प्रविष्टियाँ कई वर्षो मे फैली हुई थी और नियत तिथि। तक जारी रही। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष की भी प्रासंगिकता हैः

" ..... यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुब्बराय का नाम जो खुद के मुकदमें की भूमि का मालिक होने का दावा करता है, किसी भी समय भूमि मालिक के रूप में या किरायेदार के रूप में मुकदमें की भूमि के पिहानीयो और आर.टी.सी उद्धरणो में प्रकट नहीं होता है। जैसा की ऊपर चर्चा की गई है, रामेश्वर देवरू देवता कथित तौर पर वाद भूमि के खातेदार है और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि चौथे प्रतिवादी सुब्बाराय को अधिकृत किया गया था। रामेश्वर देवारू देवता की और से वाद भूमि को पटटे पर देने के लिए। इसलिए भूमि न्यायाधिकरण् द्वारा तीसरे प्रतिवादी मतादा बसैया के पक्ष मे2 एकड़ 26 गुंटा की सीमा तक अधिभोग अधिकार प्रदान करना उचित नही था, सुब्बराय के संस्करण पर जिन्होंने स्वयं वाद भूमि के अधिभोग अधिकारीयों का दावा किया था और उनके पास पट्टे देने का कोई अधिकार नही था।"

6. उच्च न्यायालय भी इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि सुब्बाराय के पास स्वयं की भूमि पर कोई अधिकार या स्वामित्व या हित नहीं है और अधिभोग का अधिकार देने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 के भूमि पर वैध कब्जे में किरायेदार होने का कोई सबूत नहीं था। पीहानी उद्धरण ने अपीलार्थी की किरायेदारी और अधिकार और कब्जे को 1.3.1974 को साबित किया जो विचार के लिए प्रासंगिक तारिक है।

7. उपर्युक्त स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर है और उसे रद्द किया जाता है और अपिलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जाता है।

8. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति है।

अपील स्वीकार की गई।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।